

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 21.12.2011

आ दे श

गृह (ग्रुप-9) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 20(2)गृह-9/88 दिनांक 20.12.2011 के द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उसके कियाकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में सामूहिक अवकाश लेने एवं त्यागपत्र दिये जाने को प्रतिषेध किये जाने के उपरान्त भी निम्नलिखित चिकित्सकों द्वारा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण एवं गृह विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना की अवहेलना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित समझने (Deemed Suspension) के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है:-

1. डा. नसरीन भारती, क. वि. (सर्जरी), राजकीय कावटिया अस्पताल, जयपुर।
2. डा. राकेश गुप्ता, क. वि. (सर्जरी), जिला चिकित्सालय, टोंक
3. डा. एस. के. बृजेश, क. वि. (निश्चेतन), जिला चिकित्सालय, टोंक
4. डा. अशोक चौधरी, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, मंगलूना, सीकर से प्राथ. स्वा. केन्द्र, सामोद, जयपुर को स्थानान्तरणाधीन
5. डा. राजकुमार सक्सेना, क. वि. (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेनी, अलवर
6. डा. एम. सी. जैन, व. वि. (नेत्र), जिला चिकित्सालय, अलवर
7. डा. जे. एस. शर्मा, क. वि. (मनोरोग), जिला चिकित्सालय, अलवर
8. डा. पी. सी. कोठारी, क. वि. (ई. एन. टी.), जिला चिकित्सालय, सिरौही
9. डा. प्रदीप चौहान, क. वि. (मेडिसन), जिला चिकित्सालय, सिरौही

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय ।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करायें।
- 8- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि इस विभाग को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करायें।
- 9- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 11- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 12- संबंधित अधिकारी को संबंधित जिला कलेक्टर के मार्फत
- 13- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव